न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 62/24 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/157

उनवान

1. संतोष पुत्र फूलचन्द
2. जीतेश पुत्र फूलचन्द
3. नीरज पुत्री फूलचन्द
4. मंजू देवी पुत्री फूलचन्द
5. मुकेश पुत्र गोपाल
6. बृजलता पुत्री गोपाल
7. बृजेश पुत्री गोपाल

जातियान हैवासी ब्राह्मण निवासी छापर मौहल्ला कुम्हेर जिला डीग।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र पूरनमल
2. ओमनारायण पुत्र पूरनमल
3. लक्ष्मनप्रसाद पुत्र पूरनमल

जातियान वैश्य निवासीयान पिचूमर हाल निवासी सुनार गली, कस्बा कुम्हेर जिला डीग।

4. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, बी–नारायण गेट भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 118/2014 बउनवानी फूलचन्द बनाम ओमप्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2024 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री विजय सिंह कुन्तल उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 3 श्री सुरेशचन्द गुप्ता उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 13.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर द्वारा मु.स. 118/2014 बउनवानी फूलचन्द बनाम ओमप्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2024, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट्स वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय से पेश किया था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1846, 1847, 1848, 1849, 1851, 1855, 1856, 1857, 1860 किता 9 रकबा 2.66 है0 वाके कस्बा कुम्हेर प्रथम में स्थित है। उक्त विवादित आराजी पर वादीगण को बहिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में हो रहे गलत

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

इन्द्राज को कलमजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.05.2024 को मृतक गोपाल के वारिसानों को आठ माह तक रिकार्ड पर न लेने के कारण दावा वादीगण एबेट किया जाकर खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विजय सिंह कुन्तल एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेशचन्द गुप्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण में दिनांक 28.05.2024 की पेशी नियत थी। दिनांक 28.05.2024 के बाद तारीख पेशी 20.06.2024 लगा दी गई जो अपीलान्ट के अभिभाषक के पास दर्ज थी दिनांक 03.06.2024 को प्रार्थी के अपीलान्ट अपने दीगर कार्य से कुम्हेर आये तो किसी गांव के व्यक्ति ने अपीलान्ट का परिचय वकील/अभिभाषक से कराते हुए गोपाल सिंह के पुत्र होने बाबत अभिभाषक को बताया तो वकील ने अपीलान्ट सं. 6 से उनके पिता गोपाल सिंह की राजीखुशी पूछी तो अपीलान्ट द्वारा पिता गोपाल की मृत्यु के बारे में अभिभाषक को बताया जिस पर वकील साहब द्वारा तुरन्त ही वारिसान की कार्यवाही करने बाबत कहते हुये प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 व 22 नियम 3 व 9 न्यायालय तहत में दिनांक 03.06.2024 को पेश किया। जिस पर न्यायालय तहत ने खारिज योग्य दावा पूर्ण में खारिज अंकित करते हुए प्रार्थना–पत्र को पत्रावली में लगवा दिया। जिस पर अपीलान्ट को दिनांक 28.05.2024 के आदेश की जानकारी हुई तो वकील साहब ने तहत अदालत से निवेदन किया कि मुझे 28.05.2024 को तारीख पेशी 20.06.2024 बताई गई थी तथा इसी प्रकार अंकन पत्रावली के सरवर्क पर ऊपर भी अंकित है तथा प्रार्थी द्वारा जो नकल प्राप्त की है उसमें भी आगामी पेशी दिनांक 20.06.2024 अंकित की है इस प्रकार तहत न्यायालय ने दिनांक 20.06.2024 की तारीख निर्विवाद रुप से नियत कर दी थी। उसके बाद बिना अपीलान्ट को कोई सुनवाई का मौका दिये दिनांक 28.05.2024 को दावा खारिज कर दिया। जबकि सन् 2024 में दिनांक 28.05.2024 के अलावा एक भी आदेशिका नहीं है एवं 2023 की भी नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो प्रार्थना–पत्र तहत न्यायालय में दिनांक 28.05.2024 को प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश किया गया था की नकल भी अपीलान्ट वादी को नही दी गई और ना ही किसी भी प्रकार से उक्त प्रार्थना–पत्र का जबाब पेश करने का कोई अवसर वादी को दिया बल्कि उस प्रार्थना–पत्र पर ही दावा खारिज करने का अंकन कर दिया गया जो कतई विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय जैर अपील से पूर्ण दावा उनवानी फूलचन्द बनाम ओमप्रकाश सं. 11/2014 में न्यायालय एस.डी.ओ. कुम्हेर से स्थगन जारी था लेकिन आदेश में दावा खारिज हो जाने से स्थगन प्रार्थना–पत्र से सम्बन्धित कार्यवाही भी समाप्त हो जायेगी तथा रेस्पोडेन्ट राजस्व अभिलेख मे हो रहे इन्द्राजों के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 1846, 1847, 1848, 1849, 1851, 1855, 1856, 1857, 1860 किता 9 रकबा 2.66 है0 वाके कस्बा कुम्हेर प्रथम को दीगर जगह रहन–बय–मुन्तकिल कर देगें ऐसी सूरत में आदेश दिनांक 28.05.2024 को निरस्त कर मृतक गोपाल

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज०)

के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाकर सुनवाई कर मुकदमे का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.05.2024 मे प्रार्थना–पत्र ही दावा खारिज किया है। जबकि न्यायालय तहत को आदेश 22 नियम 10–ए की कार्यवाही पूर्ण करनी चाहिए। इस प्रकार न्यायालय तहत ने नैसर्गिक न्याय के खिलाफ निर्णय पारित किया है। जो विधि विरुद्ध है। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में 2024(4) CCC 603, 2022(I) RRT 184, 2019(1) RRT 217 न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय दिनांक 28.05.2024 को निरस्त फरमाते हुए मृतक गोपाल के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश फरमाते हुए मैरिट पर निस्तारण हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 1846,1847,1848, 1849, 1851, 1855, 1856,1857,1860 किता 9 रकबा 2.66 हेक्टर वाके कस्बा कुम्हेर स्थित है। दावा के दौरान श्री फूलचंद की मृत्यु हुई जिस पर संतोष, जीतेश, नीरज, मंजूदेवी, पुत्र गण एक पुत्री फूलचंद को रिकार्ड पर ले लिया गया। जिसके उपरान्त वादी गोपाल की दिनांक 23.10.2023 को मृत्यु होने पर उसके वारिसान मुकेश पुत्र गोपाल, बृजलतापुत्री श्री गोपाल बृजेश पुत्री श्री गोपाल ने आठ माह तक कोई प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 जाब्ता दीवानी का अधीनस्थ न्यायालय में पेश नही किया। जबकि आदेश 22 नियम 3 व 4 के अनुसार मृत्यु की तारीख से आर्टीकल 120 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत 90 दिवस के अन्दर मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु दरख्वास्त देना आवश्यक है। तथा 90 दिवस के अन्दर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत न होने पर दावा/अपील स्वयं ही ऐवट हो जाती है। ऐवटमेन्टमेन्ट को निरस्त कराने हेतु आर्टीकल 121 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत 60 दिवस के अन्दर प्रार्थमापत्र अर्न्तकत आदेश 22 नियम 9 जाब्ता दीवानी देना आवश्यक होता है। पॉच माह की अवधि गुजर जाने के बाद दफा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र देरी को माफ कराने हेतु अवधि में प्रस्तुत न करने एवं ऐवटमेन्ट को निरस्त कराने बावत देना होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के दिनांक 28.5.2024 को प्रार्थना पत्र इस बावत देने कि गोपाल के वारिसान को उसके मृत्यु होने से 9 माह में रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र न देने के कारण ऐबट हो गया है देने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दावा को दिनांक 28.5.2024 को गोपाल 'के वारिसान को आठ माह तक रिकार्ड पर न लेने के कारण द्वावा को अबेट होने के कारण खारिज कर दिया। अपीलांट मुकेश ने श्री गोपाल के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थनापत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10, आदेश 22 नियम 3 व 9 व 10 व धारा 151 जाब्तादीवानी का दिनांक 3.6.2024 को पेश किया जिसे अधीनस्थ पूर्व में दावा को अबेट कर खारिज कर देने के कारण प्रार्थना पत्र को शामिल मिसिल करा दिया। इसके अलावा संतोष ने एक रिव्यू का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.11.2024 को पेश किया। जिसे बाद में वापिस ले लिया। अपीलांट के अभिभाषक ने जो प्रार्थना पत्र दिनांक 03.06.2024 को जो अधीनस्थ न्यायालय में वारिसान को रिकार्ड पर लेने बावत दिया उसके साथ किसी भी गांव के व्यक्ति एवं अभिभाषक का शपथ पत्र नहीं दिया है और उस रोज दावा ही विचाराधीन न होने के कारण उस पर कोई गौर नहीं किया जा सकता था। अपीलांट की अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.05.2024 को अबेट कर दावा खारिज करने के रोज कोई प्रार्थना पत्र रिकार्ड 'पर लेने बाबत न होने एवं दावा ऐवट होने के कारण

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज०)

अधीनस्थ न्यायालय ने सही खारिज किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में 2002(2) DNJ (Raj.) 501 न्यायिक दृष्टांत पेश किया है।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2024 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 24.06.2024 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट्स के पिता फूलचन्द एवं गोपाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया। दिनांक 28.05.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित करते हुए कि :– **"उभयपक्ष अभि उप०। प्रार्थना–पत्र बाबत् किए जाने दावा एबेट पर बहस सुनी गई। प्रकरण में वादी सं. 2 का निधन हुए लगभग 8 महीने हो चुके हैं परन्तु आदिनांक तक कायम मुकाम वारिस की कार्यवाही नहीं की गई है व इसलिए दावा एबेट हो चुका है। अतः दावा एबेट किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।"** इस आदेश दिनांक 28.05.2024 की हस्तगत अपील पेश की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वाद सं. 118/14 तलब की जाने पर किता 232 प्रेषित की गयी जिसमें धारा 212(1) की पत्रावली एवं दावा 188 की पत्रावली भी शामिल है। दावे की आदेशिका का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि आदेश संचिकाए व्यवस्थित रुप से संधारित नहीं की गयी है एवं न ही अंकित की गयी है। सरबरक पर तारीख पेशी सन् 2022, 2023 व 2024 की अंकित की गयी है लेकिन आदेशिकाएं अंकित की गयी हो ऐसा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पत्रावली की पेजिंग अनुसार पेज नं. 34 पर 2018 की तारीख पेशियों की आदेशिका मुहर लगाकर जारी की गयी है जिन पर रीडर के हस्ताक्षर भी नहीं है। पेज नं. 35 पर भी सन् 2019 की आदेशिकाएं अंकित है। पेज नं 35 पर सीधे ही दिनांक 28.05.2024 की आदेशिका अंकित की गयी है जो पेज नं. 30 पर संलग्न प्रार्थना–पत्र जो ओमप्रकाश पुत्र पूरनमल द्वारा पेश किया है जिस पर पीठासीन अधिकारी ने रीडर को मार्क कर उसी पर दावा खारिज अंकित किया है जो 28.05.2024 को पीठासीन अधिकारी ने मार्क किया है। प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर के नीचे तारीख 28.05.2022 अंकित है। पीठासीन अधिकारी द्वारा 28.05.2024 को ही इस प्रार्थना–पत्र को मार्क किया है एवं उसी दिन उभयपक्ष अधिवक्ता उप० अंकित कर प्रकरण में वादी सं. 2 का निधन हुए लगभग 8 महीने हो चुके हैं परन्तु आदिनांक तक कायम मुकाम वारिस की कार्यवाही नहीं की गयी इसलिए दावा एबेट हो चुका है अंकित करते हुए दावा एबेट कर खारिज कर दिया। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि इस प्रार्थना–पत्र की प्रति वादीगण को नहीं दी गयी एवं उसी दिन इसके सम्बन्ध में दावा एबेट मानकर खारिज कर दिया। वादीगण के अभिभाषक की उपस्थिति भी गलत रुप से अंकित की गयी है। दावे को सीधे ही एबेट मानकर खारिज कर दिया जबकि वादी सं. 1 फूलचन्द की मृत्यु होने पर 13.10.2020 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3, 9 सीपीसी स्वीकार कर उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया है। जिससे भी सम्पूर्ण दावा एबेट नहीं हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश संचिकाए व्यवस्थित रुप से संधारित नहीं की गयी है एवं न ही अंकित की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश संचिकाए बड़े ही विचित्र रुप से व्यवस्थित की हुई है, जो आश्चर्यजनक है। इस प्रकार की कार्यप्रणाली न्यायालय मामलों में कतई स्वीकार्य

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज०)

नहीं हो सकती है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने बिना वादीगण को सुने मनमाने तौर पर अपने आप ही सीधे ही प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.05.2024 को मार्क कर उसी दिन 28.05.2024 को ही आदेश पारित कर दावे को एबेट मानकर खारिज कर दिया जो कतई विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2024 अपास्त किए जाने योग्य है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 28.05.2024 अपास्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचनानुसार पत्रावली में उभयपक्ष की सुनवाई कर विधिसम्मत रुप से निर्णय पारित करें।
10. निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर